UPUN010034152026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1431/2026

अजय कुमार उम्र 31 वर्ष पुत्र मुन्नीलाल निवासी सुभाष नगर थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ। ....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव। ..... विपक्षी।

दिनांकः–04.06.2026

अभियुक्त अजय कुमार ने, यह जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0–612/2025 धारा–140(1),103(1),111,238 बी0एन0एस0 थाना अजगैन जिला उन्नाव, में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

वादी कमलेश की तहरीर के अनुसार उसका छोटा भाई विमलेश दिनांक 21.12.2025 को समय करीब 6.00 बजे सुबह घर से नवाबगंज कोका कोला फैक्ट्री काम करने के लिए साईकिल से निकला था, जब शाम तक विमलेश वापस घर नहीं गया तो विमलेश की तलाश शुरू की गयी पर अभी तक विमलेश का कुछ पता नहीं चला। विमलेश का मो0 नं0 8858124089 तथा उसकी लम्बाई करीब साढ़े 5 फिट है। अतः सूचना दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसको झूठा फंसाया गया है। उसका इस न्यायालय के समक्ष तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण बिना गुण–दोष का निर्धारण किये दिनांक 30.03.2026 एवं 20.04.2026 को निरस्त किया गया है। वर्तमान में उक्त प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त विचाराधीन नहीं है, न किसी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित किया गया है। वह जमानत की शर्तो का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए उसको निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उन्नाव को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क है कि वादी के भाई के गायब होने की सूचना दि0 22.12.2025 को समय दोपहर 12.38 पर दिये जाने का कथन पुलिस द्वारा स्वंय किया गया है जबकि प्राथमिकी दिनांक 23.12.2025 को रात्रि 1.55 पर सूचना प्राप्त होने के काफी समय बाद मात्र गुमशुदगी में लिखी गयी जो अत्यन्त विलम्बित है जो कि मृतक की लाश मिलने के 07 घन्टे से अधिक समय बीत जाने व पंचनामा आदि होने के बाद दर्ज हुई है। पुलिस के उक्त कृत्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को पूरी घटना पहले से मालूम थी एवं मात्र खानापूर्ति करने के लिए पर्चे भर रही थी। इसी कारण उसने अपने पर्चे में गुमशुदा को तलाशने के लिए विभिन्न स्थानों का जिक्र किया है किन्तु उस फैक्ट्री पुलिस नहीं गयी जहॉ मृतक काम करने गया था। वादी ने पंचायतनामे में लिखा है कि उसे आज 22.12.2025 को शाम 6.30 बजे सूचना मिली कि एक अज्ञात शव

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.04 16:47:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

मेथीटीकुर के निकट पड़ा है। यह शव उसके भाई का ही है। उसका यही बयान दिनांक 23.12.2025 को विवेचक द्वारा लिये गये बयान में भी अंकित है। डेड बाडी मिलने के बाद दिनांक 22.12.2025 को वादी ने थाने में तहरीर दी जिस पर डाली गयी तारीख को थाना अजगैन पुलिस के दबाव में दि0 22 के स्थान पर ओवरराइट कर 23.12.2025 किया गया ताकि थाना अजगैन को जो अभी तक सब जानकारी होने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहा था। अब मामला मीडिया में प्रचाारित होने के बाद उसे प्राथमिकी दर्ज करने का मौका मिल जाये, इसी कारण रात्रि 1.55 बजे आनन–फानन में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फार्म VI में मर्चरी में बाडी प्राप्त होने का दिनांक 22.12.2025 एवं समय 5.45 पी0एम0 दर्ज है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार डेडबाडी को पहली बार 6.30 पर देखा गया जो पुलिस व वादी के बताये तथ्यों की सत्यता में सन्देह पैदा करते हैं। पुलिस के नक्शा नजरी में हत्या का स्थान ग्राम कुंजपुर के कच्चे रास्ते पर कोका कोला फैक्ट्री से बमुश्किल 40 फिट की दूरी पर दिनेश कुमार के घर के सामने दिखाया है, जहॉ दिन भर सैकड़ों लेबरों की भीड़ व लोडिंग–अनलोडिंग करने वाले बीसों ट्रक व सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं एवं मृतक भी इसी फैक्ट्री में काम करता था तो उसे वहॉ के लोग जानते भी होगें। पुलिस के अनुसार 23.12.2025 की रात्रि 1.55 पर पर प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात विवेचक द्वारा प्रातः 5.00 बजे से 20.00 बजे तक लगातार विवेचना जारी रही किन्तु प्राथमिकी मात्र गुमशुदगी में दर्ज हुई, जबकि पुलिस को डेडबाडी मिलने, पंचनामा होने की समस्त जानकारी थी। इसी प्राथमिकी की रपट सं0 5 दिनांक 23.12.2025 को समय 1.55 बजे गुमशुदा मृतक की तलाश कुसुम्भी, नवाबगंज, कुंजपुर, जगदीशपुर, चमरौली, नवई आदि जगह विवेचक द्वारा किया जाना व मुखबिर सक्रिय किया जाना कहा किन्तु उस फैक्ट्री जहॉ मृतक काम करता था, वह रास्ते में ही पड़ती है लेकिन विवेचक आज तक नहीं गये। दि0 23.12.2025 के सी0डी0 पर्चा सं0 1 में वादी के बयान में लिखा है कि उसे कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि ... चलिये जहॉ से मेरा भाई गायब हुआ है, मैं आपको घटनास्थल दिखा देता हूँ उक्त बयान से स्पष्ट है कि यह बयान 22 तारीख को लिया गया होगा जिसे विवेचक ने दि0 23.12.2025 के पर्चे में दर्शित किया है व प्राथमिकी दर्ज करने के बाद वादी से न तो मिले, न ही उसका बयान लिया। दि0 24.12.2025 के सी0डी0 पर्चा सं0 2 में जो भी साक्षी हैं, उनमें कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं है और न ही ऐसा कोई साक्षी है जिसके बारे में यह कहा जा सके कि वह स्वाभाविक तौर पर उसको जानता हो तथा प्रत्येक साक्षी ने अपनी पहचान छिपायी है। साक्षीगण के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह बयान साक्षीगण द्वारा न देकर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा स्वतः लिख लिये गये हैं। समस्त बयानों में नाम व पिता के नाम परिवर्तन के अलावा एक भी अक्षर का हेरफेर नहीं है तथा पुलिस की भूमिका व विवेचना दोषपूर्ण है। उसका जनपद उन्नाव या मृतक से कोई लेना–देना नहीं है, न ही घटना वाले दिन या इसके आगे–पीछे वह उन्नाव आया है। इसकी पुष्टि स्वंय पुलिस द्वारा प्रस्तुत सी0डी0आर0 करती है। वह टाईल पत्थर लगाने का काम करता है तथा ठेके भी लेता है। अभियुक्त अवधेश भी पत्थर मिस्त्री है। इस कारण उसके व अभियुक्त अवधेश के मध्य बातचीत व उसके द्वारा किये गये पैसे का हिसाब कभी नकद व कभी आनलाइन होता रहता है जिसे पुलिस गलत तरीके से पेश कर रही है तथा अवधेश के बयानों में आयी बात कि दिनांक 21.12.2025 को रात्रि 12.30 बजे विमलेश की हत्या की योजना बनायी। पुलिस ने मात्र उसके सी0डी0आर0 में बातचीत के आधार पर मनगढ़न्त कहानी गढ़ी है, जबकि सी0डी0आर0 से ही स्पष्ट है कि काल अवधेश ने उसको की थी, न कि उसने और उस समय एक नयी साईट पर काम और मालिक से रेट तय करने के विषय में बातचीत हो रही थी तथा तक तक मृतक के साथ कोई घटना भी नहीं हुई थी, न

ही घटना के 10 दिन पूर्व से उसके गिरफ्तारी तक उसकी लोकेशन उन्नाव में दिखी है, न ही किसी सी0सी0टी0वी0 में वह नजर आ सकता है क्योंकि वह यहॉ आया ही नहीं, न गिरफ्तारी के समय उसके पास कोई ऐसी चीज बरामद हुई जिससे उसके घटना में संलिप्त होने का सन्देह उत्पन्न हो। मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया, यह फर्जी कहानी है। वास्तव में पुलिस ने उसको फोन कर बुलाया था तथा तीन दिन तक थाने पर बैठाने के बाद 2 लाख रूपये की मांग पूरी न कर पाने पर उसका चालान दिनांक 27.12.2025 को करके जेल भेज दिया गया। दिनांक 27.12.2025 को ही उसकी मोटरसाईकिल का भी चालान पुलिस द्वारा हेलमेट न होने के कारण किया गया। उसके वृद्ध माता–पिता उसके बिना नरकीय जीवन जी रहे हैं। जब वह उन्नाव का रहने वाला ही नहीं है तो उसे उन्नाव क्षेत्र का पुलिस का मुखबिर कैसे पहचान सकता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियोजन का तर्क है कि मामले में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–140(1)बी0एन0एस0 के अर्न्तगत पंजीकृत करायी गयी है। केस डायरी के पर्चा नं0 1 पर अंकित अपने बयान में वादी ने बताया है कि उसे जानकारी मिली की व्हाट्सअप ग्रुप पर नहर की पटरी ग्राम मेथीटीकुर अर्न्तगत थाना क्षेत्र माखी में एक अज्ञात शव मिला है। उस शव की जब उसने फोटो देखी तो उक्त शव उसके भाई विमलेश का है। केस डायरी के पर्चा नं0 2 पर अंकित स्वतन्त्र गवाह ललतू, राजेन्द्र व केस डायरी के पर्चा नं0 3 पर अंकित स्वतन्त्र गवाह गोवर्धन, महाबली व भारत के बयान के अनुसार 'विमलेश उर्फ गुड्डू की पत्नी अनीता को अजय चाहता था जिसकी वजह से अजय विमलेश से द्वेष रखता था। गुड्डू उर्फ विमलेश से अवधेश की पटती नहीं थी। अजय अवधेश से मिलकर अवधेश के गांव के ही एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसका नाम विशाल रैदास है, के साथ मिलकर गुड्डू उर्फ विमलेश को उसके कोका कोला फैक्ट्री में ड्यूटी से निकलने के उपरान्त अपने साथ कहीं ले गये और उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया तथा उसके शव को मेथीटीकुर के पास नहर के किनारे सुनसान स्थान पर झाड़ी में फेंक दिया था।' केस डायरी के पर्चा नं0 4 पर अभियुक्त विशाल व सह–अभियुक्त अवधेश कुमार की गिरफ्तारी व अभियुक्तगण द्वारा बरामद करायी गयी मृतक की साईकिल, एक अदद आई कार्ड व एक अदद आला कत्ल मफलर की बरामदगी के फर्द का विवरण अंकित है। इस फर्द के अनुसार पकड़े गये दोनो अभियुक्तगण ने अपनी गिरफ्तारी के समय भागे हुए अभियुक्त अजय कुमार के साथ मिलकर मफलर से मृतक विमलेश की गला दबाकर हत्या कारित करने की संस्वीकृति की है। केस डायरी के पर्चा नं0 8 पर अभियुक्त अजय कुमार व सह–अभियुक्त अवधेश के मध्य हुई फोन वार्ता का डीटेल अंकित है तथा इसी पर्चे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा फुटेज का विवरण अंकित है जिसके अनुसार दि0 21.12.2025 को समय 13.14.53 बजे विशाल कुमार एक मोटरसाईकिल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है तथा एक मोटरसाईकिल पर अभियुक्त अवधेश व अजय जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर्चे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे के मालिक रमन उर्फ बऊवा का बयान अंकित है जिसमें उसने बताया है कि फुटेज उसके ही कैमरे की है। केस डायरी के पर्चा नं0 10 पर यू0पी0आई0 स्क्रीन शॉट का विवरण अंकित है जिसमें अजय कुमार व अवधेश कुमार के मध्य हुए लेन–देन का विवरण अंकित है। केस डायरी के पर्चा नं0 2 पर अंकित मृतक विमलेश उर्फ गुड्डू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विवरण के अनुसार पोस्टमार्टम के समय उसके कुल 5 चोटें 1. LIGATURE MARK, 2. ABRASION, 3. ABRADED CONTUSION, 4. CONTUSION, 5. CONTUSION पायी गयी हैं तथा मृत्यु के कारण में ASPHYXIA DUE TO ANTEMORTEM STRANGULATION अंकित है। मामला गंभीर अपराध से सम्बन्धित है तथा

अभियुक्त के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजय कुमार द्वारा मु0अ0सं0–612/2025 धारा–140(1),103(1),111,238 बी0एन0एस0 थाना अजगैन जिला उन्नाव, में प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1431/2026, निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांकः–04.06.2026</u>

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code–UP06552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अजय